



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226164
CG-DL-E-26032021-226164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 166]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सं. 17/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 215(अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, ताईवान और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है), में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “2-ईथाइल हेक्सानाल” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2905 16 20 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. संख्या 360(अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/28/2020-डीजीडीआर, दिनांक 28 अगस्त, 2020, जिसे दिनांक 28 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/28/2020-डीजीडीआर, दिनांक

8 मार्च, 2021, जिसे दिनांक 8 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

- (i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं का लगातार फालतू आयात हो रहा है और यदि इस शुल्क को हटा लिया जाता है तो बहुत ही सस्ते कीमतों पर इन वस्तुओं का भारतीय बाजार में प्रवेश हो जाएगा;
- (ii) यद्यपि आधार वर्ष से लेकर 2018-19 तक घरेलू उद्योगों के काम-काज में सुधार आया है, फिर भी जांच अवधि के दौरान इस काम-काज को नुकसान भी हुआ है और इस प्रकार विषयगत देशों से इन विषयगत वस्तुओं की भरमार के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान होने की संभावना बनी रही है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इसको क्षति हो सकती है;
- (iii) रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह जाहिर होता है कि इसकी भरमार जारी रह सकती है अथवा फिर से हो सकती है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित है विषयगत वस्तु पर आगे भी प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में प्रतिपादन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	बीएसएसएफ पेट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन बीएचडी, मलेशिया	53.63	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 के उत्पादक से भिन्न कोई भी	107.30	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल	विषयगत देशों से	मलेशिया	कोई भी	107.30	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		(2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	भिन्न कोई भी देश					
4.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी.टी. पैट्रो ओक्सो नुसानतरा, इंडोनेशिया	45.67	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 4 के उत्पादक से भिन्न कोई भी	127.82	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	127.82	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ समेत कोई भी देश	(i) ओ क्यू केमिकल्स प्रोडक्शन जीएमबीएच एंड कंपनी, केजी, जर्मनी (ii) ओ क्यू केमिकल्स जीएमबीएच, जर्मनी	45.47	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 7 के उत्पादकों से भिन्न कोई भी	113.47	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	113.47	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच),	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य समेत कोई	कोई भी	15.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		सभी रूपों और ग्रेड के		भी देश				
11	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	15.55	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	ताईवान	ताईवान समेत कोई भी देश	कोई भी	42.45	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	ताईवान	कोई भी	42.45	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
14	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कोई भी देश	कोई भी	29.61	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
15	29051620	2-ईथाइल हेक्सानाल (2-ईएच), सभी रूपों और ग्रेड के	विषयगत देशों से भिन्न कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	29.61	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/264/2015-टीआरयू (पार्ट-I)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

No. 17/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 215(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/28/2020-DGTR, dated the 28th August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘2-Ethyl Hexanol’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2905 16 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 10/2016-Customs (ADD), dated the 29th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 360(E), dated the 29th March, 2016;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 7/28/2020-DGTR, dated the 8th March, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) there is continued dumping of the subject goods from subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty;
- (ii) though the performance of the domestic industry has improved till 2018-19 from the base year, its performance has suffered deterioration within the period of investigation, and thus, the domestic industry remains vulnerable due to dumping of the subject goods from the subject countries and there is likelihood of injury in the event of expiry of duty;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;

and has recommended continued imposition of anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) and in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Malaysia	Any country including Malaysia	BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia	53.63	MT	USD

2.	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Malaysia	Any country including Malaysia	Any other than producer at S.No. 1	107.30	MT	USD
3.	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Any other than the subject countries	Malaysia	Any	107.30	MT	USD
4.	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Indonesia	Any country including Indonesia	P.T. Petro Oxo Nusantara, Indonesia	45.67	MT	USD
5.	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Indonesia	Any country including Indonesia	Any other than producer at S.No. 4	127.82	MT	USD
6.	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Any other than the subject countries	Indonesia	Any	127.82	MT	USD
7	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	European Union	Any country including European Union	(i) OQ Chemicals Produktion GmbH & Co. KG, Germany (ii) OQ Chemicals GmbH, Germany	45.47	MT	USD
8	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	European Union	Any country including European Union	Any other than producers at S.No. 7	113.47	MT	USD
9	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Any other than the subject countries	European Union	Any	113.47	MT	USD
10	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Korea RP	Any country including Korea RP	Any	15.55	MT	USD
11	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Any other than the subject countries	Korea RP	Any	15.55	MT	USD

12	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Taiwan	Any country including Taiwan	Any	42.45	MT	USD
13	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Any other than the subject countries	Taiwan	Any	42.45	MT	USD
14	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	United States of America	Any country including United States of America	Any	29.61	MT	USD
15	29051620	2-Ethyl Hexanol(2-EH) in all forms and grades	Any other than the subject countries	United States of America	Any	29.61	MT	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.—For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/264/2015-TRU (Pt-I)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.